

I/434765/2023

विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2023 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री लाल बिहारी यादव, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-12 का उत्तर:-

प्रश्न		उत्तर					
12 (क)	क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि जनपद-गाजीपुर में वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में विधायक विकास निधि से किन-किन विद्यालयों से कितना पैसा किन प्रतिनिधियों द्वारा दिया गया है?	जनपद गाजीपुर में वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में निम्नलिखित विवरण के अनुसार विद्यालयों में निर्माण कार्य हेतु मा० जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्ताव दिये गये हैं, विद्यालयों की सूची संलग्न है:-					
		क्र	मा० सदस्य,	2021-22		2022-23	
		0	विधानसभा/	विद्यालय	धनराशि	विद्यालय	धनराशि
		सं	विधान	की संख्या	(लाख रु० की	(लाख रु०	
		0	परिषद का	में)	संख्या	में)	
			नाम				
		1	मा० विधायक, वि०स० जखनियाँ	40	265.45	0	0.00
		2	मा० विधायक वि०स० सदर	4	25.00	2	10.00
		3	मा० विधायक वि०स० जमानियाँ	2	5.50	0	0.00
		4	मा० विधायक वि०स० जंगीपुर	9	29.50	0	0.00
		5	मा० विधायक वि०स० मुहम्मदाबाद	6	26.00	0	0.00
		6	मा० विधायक वि०स० सैदपुर	31	195.20	0	0.00

65/2023

	7	श्रीमती लीलावती कुशवाहा, मा0 सदस्य विधान परिषद	3	21.00	0	0.00
	8	श्री शतरूद्ध प्रकाश, मा0 सदस्य विधान परिषद	1	4.00	0	0.00
	9	श्री रणविजय सिंह, मा0 सदस्य विधान परिषद	2	14.00	1	14.00
	10	डा0 भीम राव अम्बेडकर मा0 सदस्य विधान परिषद	2	13.50	2	26.00
	11	श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य विधान परिषद	4	26.00	2	28.766
	12	श्री लाल बिहारी यादव, मा0 सदस्य विधान परिषद	1	3.00	10	14.00
	13	श्री बलवन्त सिंह रामुवालिया,	1	4.50	0	0.00

/65/2023

		मा0 सदस्य विधान परिषद				
		14 श्री बुक्कल नवाब, मा0 सदस्य विधान परिषद	1	5.00	0	0.00
		15 श्री आशीष पटेल, मा0 सदस्य विधान परिषद	2	10.00	2	10.00
		16 श्री राम वृक्ष यादव, मा0 सदस्य विधान परिषद	4	20.00	0	0.00
		17 श्री राजपाल कश्यप, मा0 सदस्य विधान परिषद	0	0.00	1	10.00
(ख)	क्या उक्त धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समितियों को दी जा चुकी है?	मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा विद्यालयों में प्रस्तावित निर्माण कार्य की धनराशि विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को दी गयी है।				
(ग)	यदि दो वर्षों में विधायक विकास निधि का पैसा खर्च नहीं हुआ, तो उसके क्या कारण हैं?	मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य के सापेक्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, विद्यालय निरीक्षक, गाजीपुर से विद्यालय की मान्यता सम्बन्धी सत्यापन आख्या तथा सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से विद्यालय की भूमि सत्यापन आख्या प्राप्त होते ही ससमय कार्य स्वीकृत कर धनराशि अयमुक्त कर दी गयी है।				
(घ)	क्या उन अधिकारियों को दंडित करने का कार्य करेंगे, जो अपने	जनपद में विधायक निधि सम्बन्धी पत्रावलियों लम्बित नहीं हैं, जिसके कारण कार्यवाही का औचित्य नहीं है।				

765/2023

	स्तर पर पत्रावलियों को एक, एक, दो, दो साल लम्बित रखे है?	
(ड)	यदि दंडित करेंगे तो कब तक?	प्रश्न नहीं उठता।
(च)	यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

Signed by केशव प्रसाद
मौर्य (केशव प्रसाद मौर्य)
Date: 24/11/2023 17:42:46
Reason: Approved